XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बा टिप्पणी तारी सहित
1	2	3
07.02.2012		

न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

राजस्व अपील वाद संख्या–177/2010

धारा–48 (F) B.T.Act

1. अधिक लाल उरांव, पिता–स्व0 धासी लाल उरांव
2. परमेश्वर उरांव
3. रमेश उरांव
4. श्रीलाल उरांव
5. महेश लाल उरांव

पिता–रसिक लाल उरांव

6. नवल उरांव
7. महादेव उरांव
8. गुलठू उरांव

पिता–स्व0 खुशाई उरांव

9. कामेश्वर उरांव, पिता–स्व0 छट्ठू उरांव
10. रामदेव उरांव, पिता–कुशा उरांव
11. बिहारी उरांव, पिता–स्व0 भगवान दास उरांव
12. रमेश उरांव
13. प्रेमलाल उरांव
14. रूपचंद उरांव

पिता–स्व0 गोपी उरांव

सभी का साकिन–बेतौना, थाना–कसबा, जिला–पूर्णियाँ..... आवेदकगण

बनाम

1. तारण प्रसाद साह
2. विशन प्रसाद साह

दोनों के पिता–स्व0 ठाकुर प्रसाद साह

साकिन–मदारधाट, थाना–कसबा, जिला–पूर्णियाँ ..... विपक्षी

आ दे श

आवेदकगण भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, सदर, पूर्णियाँ द्वारा बटाईदारी वाद संख्या–35/05/2009–10 में दिनांक 02.12.2009 को पारित आदेश के विरूद्ध यह वाद प्रारम्भ किया है। आवेदकगण का कथन है कि मौजा–बेतौना, खाता संख्या–63 एवं 58, सिकमी खाता संख्या–23, कुल रकवा–11 एकड़ 77 डिसमिल जमीन पर वे लोग संयुक्त रूप से बटाईदारी करते हैं। खाता संख्या–63, रकवा–7.29 एकड़ जमीन का सिकमी खतियान स्व0 धासी उरांव, स्व0 खुसाय उरांव, स्व0 चेतू उरांव एवं स्व0 भगवान दास उरांव के नाम से दर्ज है। आवेदकगण अपने पूर्वज के मृत्यु के उपरान्त उपरोक्त जमीन पर 16 वर्षो से भी अधिक समय से खेती करते आ रहे है। विपक्षीगण बलपूर्वक आवेदकगण को जमीन खाली करने का दबाब देने लगे। फलस्वरूप आवेदकगण भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, सदर के न्यायालय में बटाई हक के लिये धारा–48 (E) अन्तर्गत वाद दायर किया। निम्न न्यायालय द्वारा विपक्षी को नोटिश देने के उपरान्त विपक्षी उपस्थित हुए और अपना प्रत्युत्तर भी दाखिल किया। पुनः दोनों पक्षों में आपसी समझौता हो जाने के बाद दिनांक 27.10.20009 को दोनों पक्षों की ओर से निम्न न्यायालय में समझौता आवेदन पत्र दाखिल किया गया।

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

किन्तु निम्न न्यायालय उक्त समझौता आवेदन पत्र के आधार पर वाद की कार्यवाही बन्द कर दी गयी। निम्न न्यायालय के इस आदेश से आवेदकगण के हित की उपेक्षा हुई। आवेदकगण को इस जमीन के अतिरिक्त और कोई दूसरा सहारा जीवन यापन का नहीं है। अतः आवेदकगण इस न्यायालय से निवेदन करता है कि वाद की सुनवाई कर उसे बटाईदारी हक प्रदान करने की कृपा की जाय।

विपक्षी की ओर से प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 27.01.2012 को उभय पक्षों को सुना गया। आवेदक का कथन है कि निम्न न्यायालय द्वारा मात्र समझौता आवेदन के आधार पर आदेश पारित किया गया बल्कि न्यायिक आदेश पारित नहीं किया गया, इसलिये इसे पुनः भूमि सुधार उप-- समाहर्त्ता के न्यायालय को भेजते हुए विधिवत आदेश पारित करने का आदेश देने की कृपा की जाय।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि दोनों पक्षों के द्वारा संयुक्त रूप से दिये गये समझौता आवेदन पर ही भूमि सुधार उप--समाहर्त्ता के द्वारा वाद का निष्पादन किया गया। आवेदक के द्वारा विपक्षी को तंग करने के उद्देश्य से इस न्यायालय में पुनः वाद दायर किया गया है।

अभिलेख में उपलब्ध समझौता आवेदन का अवलोकन किया गया। स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के द्वारा निम्न न्यायालय में समझौता होने एवं आवेदन को खारिज करने का अनुरोध स्पष्ट रूप से आवेदक के द्वारा किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन एवं सुनवाई के बाद स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है। इसमें किसी तरह की हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। इस निर्णय के साथ इस वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ